

अध्याय 7

रजिस्ट्रों का रखरखाव

नियम 59 : रजिस्ट्रों का रखा जाना

निम्नलिखित रजिस्टर ऑनलाइन/ऑफलाइन बनाए रखे जाएंगे और हमें अनुसचिवीय अधिकारी या रजिस्ट्री के अधिकारी द्वारा, *अध्यक्ष के किसी आदेश के अधीन, दिन-प्रतिदिन पोस्ट किए जाएंगे—

- (क) बिना क्रमांक वाली याचिकाओं या अपीलों का रजिस्टर (जीएसटीएटी सीडीआर-03);
 - (ख) याचिकाओं या अपीलों का रजिस्टर (जीएसटीएटी-सीडीआर-04); और
 - (ग) अंतर्वर्ती आवेदनों का रजिस्टर (जीएसटीएटी सीडीआर-05)।
-